न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–70/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

परवीन पुत्री निसार अहमद जाति मुसलमान निवासी चिमना जी का बाग कोठी धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुधीर पुत्र जयगोपाल उर्फ सूरजगोपाल
2. सुनील गोपाल पुत्र जयगोपाल उर्फ सूरजगोपाल
3. अनिल गोपाल पुत्र जयगोपाल उर्फ सूरजगोपाल
   जातिगण कायस्थ निवासी वार्ड संख्या 17 छोले वालों की गली पुराना शहर धौलपुर।
4. गीता पुत्री जयगोपाल उर्फ सूरजगोपाल
5. ममता पुत्री जयगोपाल उर्फ सूरजगोपाल
   जाति कायस्थ निवासी वार्ड संख्या 17 छोले वालों की गली पुराना शहर धौलपुर।

.....असल रेस्पोडेण्ट

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर बहैसियत भू स्वामी।
7. रेहाना पुत्री निसार पत्नी एच0वी0 खान जाति मुसलमान निवासी प्लाट 12 सैक्टर 12 राजनगर सबीना बोडा उदयपुर जिला उदयपुर।
8. मंजू पुत्री निसार पत्नी मुगले हसन जाति मुसलमान निवासी सराय गजरा कोठी, धौलपुर।
9. बच्चू पुत्र निसार अहमद जाति मुसलमान निवासी चिमना जी का बाग धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी धौलपुर दि0 07.05.2012 प्र.सं. 42/2009 उनवानी निसार अहमद बनाम सुधीर वगै0।

उपस्थितिः–

1. श्री जानकी प्रसाद वकील अपीलांट।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–20.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी की ओर से एक दावा अधीन धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित कस्बा धौलपुर तहसील धौलपुर, अपीलाण्ट/वादी के पिता अहमद खॉ बाबा सरदार खॉ पुत्र बली मौहम्मद कौम मुसलमान निवासी धौलपुर की पुश्तैनी आराजी रही है। विवादित आराजी से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा है।

विवादित आराजी में अपीलाण्ट/वादी के पिता के समय से बेरियों का बाग चला आ रहा है और उनका जातिय व व्यक्तिगत कब्रस्थान है, जिसमें उनके बाप दादो की कब्र बनी हुयी हैं। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगणो के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिल कर ना जाने कब किस प्रकार से अनाधिकृत अवैध रूप से बगैर किसी सक्षम अदालत के आदेश संवत 2016 में गैर खातेदारी दर्ज करा ली है। उक्त गलत इन्द्राजों के बल पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते हैं एवं कब्रो की तोडफोड करते हैं। अतः दावा दायर कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायायल में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अधिवक्ता रैस्पो0 की ओर से समय की मॉग की गई। रैस्पो0 अधिवक्ता को पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं, समय की मांग का कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं बताया है। फिर भी रैस्पो0 अधिवक्ता को लिखित बहस पेश करने का अवसर देते हुए, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी। परन्तु रैस्पो0 द्वारा कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया विवादित आराजी पूर्व से अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषों के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 की गैर खातेदारी इन्द्राज, बन्दोबस्त के दौरान आये हैं, जो किसी सक्षम आदेश के बिना ही कराया गये हैं, इस प्रकार के गलत इन्द्राजों के आधार पर रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट के पूर्वज संवत 2008 से विवादित आराजी काबिज होकर काश्त कर रहें हैं एवं पुरखों की कब्र आदि बनी हुयी हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार पूर्व में कभी नहीं रहा एवं ना ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों को परे रखकर, अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज किया है, जो काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्था न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2012 को निरस्त किया जाकर, अपीलाण्ट/वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु चार तनकियॉ कायम की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तनकियों को तय करते समय साक्ष्य एवं विधि की समुचित विवेचना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया है, तनकी विवेचना में तहसीलदार से विवादित भूमि की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जॉच की आवश्यकता बताया जाना अंकित किया है। इसी प्रकार तनकी संख्या 03 को तनकी संख्या 01, 02 की विवेचाना अनुसार निर्णित किया है। परन्तु जब तनकी संख्या 02 पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया जाकर, तहसीलदार से जॉच की आवश्यकता बताई है। अतः तनकी संख्या 03 के निष्कर्ष भी मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, इस प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2012 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः तार्किक स्पष्ट आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी/पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official